अनुसूची–14 फर्म सं0–563

ओदश की क्र0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

16.02.19

न्यायालय, भूमि सुधार उप समहर्त्ता,गुमला

दाखिल–खारिज अपील वाद सं0 – 59/2017–18

मो0 कमरूदीन वगै0 ..... अपीलार्थी

बनाम

मन्नु प्रसाद ..... प्रतिवादी

अधिवक्ता

प्रथम पक्ष के अधिवक्ता – श्री हफिन्द्र साहु

द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता – शशि रंजन अखौरी

आदेश

प्रस्तुत दाखिल–खारिज अपील वाद आवेदक मो0 कमरूदीन वगैरह, पिता – स्व0 हुसैन, ग्राम – बरगीटांड़, जिला – गुमला द्वारा अंचल अधिकारी, रायडीह द्वारा दिनांक – 06.06.2017 को पारित आदेश दाखिल–खारिज वाद संख्या – 03 R 27/2017–18 के विरूध लाया गया।

विवादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा
अरंडा	18	62	0.26 एकड़
		64	0.12 एकड़
		कुल	**0.38 एकड़**

भूमि के दावे के प्रसंग में प्राप्त आवेदनानुसार उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए अंचल अधिकारी, रायडीह से मूल अभिलेख का मांग किया गया।

दोनों पक्ष अपने–अपने अधिवक्ता के माध्यम से निम्न तथ्यों को कागजी–सबूत के साथ बहस/लिखित साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

प्रथम पक्ष :– अधिकृत अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि विवादित खाते की भूमि के संदर्भ में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि को दो रजिस्ट्री पट्टा संख्या – 2784, दिनांक – 07.09.1967 एवं 2786, दिनांक – 07.09.1986 द्वारा क्रय किया गया है, तथा विपक्षी मन्नु प्रसाद द्वारा दावा किया जा रहा है जो गुमला थानान्तर्गत खाते की जमीन है। साथ ही वर्ष 1967 में रजिस्ट्री पट्टा से हासिल किया गया है।

अतएव अंचल अधिकारी, रायडीह द्वारा स्वीकृत दाखिल–खारिज, **खारिज** किया जाय।

साक्ष्य की प्रति :–

(i) निबंधित पट्टा संख्या – 2786, दिनांक – 07.09.1967 की छायाप्रति।

(ii) निबंधित पट्टा संख्या – 2784, दिनांक – 07.09.1967 की छायाप्रति।

(iii) अंचल अधिकारी, रायडीह को समर्पित आपत्ति आवेदन की छायाप्रति।

(iv) अंचल अधिकारी, रायडीह को उपलब्ध छायाप्रति।

(v) मालगुजारी रसीद 2017–18 तक की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष :– अधिकृत अधिवक्ता का कथन है कि उनके द्वारा निबंधन पट्टा संख्या – 1577, दिनांक – 17.07.1979 से खरीद किया गया है जो सही है एवं शान्तिपूर्ण दखलकार है, जिसका दाखिल–खारिज रायडीह अंचल अधिकारी द्वारा स्वीकृत है। जिसके लिपिकीय त्रुटिवश Correction Slip (शुद्धि पत्र) में 1967 अंकित होने के कारण प्रथम पक्ष द्वारा यह कृत्य जालसाजी कराया जा रहा है एवं दावा किया जा रहा है।

अतएव लिपिकीय त्रुटि का भूल सुधार कर अपील खारिज किया जाय।

साक्ष्य की प्रति :–

(i) रजिस्ट्री पट्टा संख्या – 1577, दिनांक – 17.07.79 की छायाप्रति।

(ii) शुद्धि पत्र की छायाप्रति।

(iii) मालगुजारी रसीद वर्ष 2017–18 की छायाप्रति।

सरकारी अधिवक्ता (GP) का मन्तव्य :– अंचल अधिकारी, रायडीह के मूल अभिलेख से स्पष्ट होता है कि जांच प्रतिवेदन एवं आदेश में भारी चूक हुई है, जिसके कारण पट्टा संख्या – 2784, दिनांक – 07.09.1967 अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि को दिखाकर दाखिल–खारिज स्वीकृत किया गया है जबकि पट्टा संख्या – 2784 की जमीन ग्राम – ढ़िढ़ौली, थाना – गुमला में स्थित है। अतएव अंचल अधिकारी, रायडीह का आदेश निरस्त किया जाना चाहिए।

समीक्षा :– प्रस्तुत वाद की समीक्षा दोनों पक्षों के कागजात एवं सरकारी अधिवक्ता का मन्तव्य देखने से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, रायडीह द्वारा निर्णय देने में गलती हुई है, जो लिपिकीय त्रुटि है।

निष्कर्ष :– सभी पहलुओं एवं सरकारी अधिवक्ता के मन्तव्य पर गंभीरता पूर्वक विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचती हूँ कि अंचल अधिकारी रायडीह द्वारा स्वीकृत दाखिल–खारिज वाद संख्या – 03 R 27/2017–18 निरस्त करते हुए उन्हे आदेश दिया जाता है कि यथा वांछित त्रुटि का निराकरण करेंगें।

अतः अपील **स्वीकृत** की जाती है।

लेखापित

16/02/19

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,
गुमला।

16/02/19

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,
गुमला।